

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:— 2 / स्थान(विविध) — 07-18/2012 — / रॉची, दिनांक : — /

शुद्धि-पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या—3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक—159, स्तम्भ—2 में अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, सहायक अभियंता “आई0डी0 स0—जे0—4775, जन्म तिथि 20.01.1956 एवं गृह जिला—बक्सर” के स्थान पर “श्री राजेन्द्र प्रसाद, आई0डी0 स0— जे0 9000, जन्म तिथि 20.08.1967 एवं गृह जिला—आजमगढ़ (यू.पी.)” पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष कांडिकाएँ पूर्ववत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(रमेश कुमार चौधरी)
जिम्मेदार सचिव (प्र.)

पत्रांक:— 2 / स्थान(विविध) — 07-18/2012—

रॉची, दिनांक —

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पचीस) प्रतियों कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।


(रमेश कुमार चौधरी)
अवर सचिव (प्र.)

पत्रांक:— 2 / स्थान(विविध) — 07-18/2012— ५५४५

रॉची, दिनांक :— 29-8-12

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची / अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, रॉची / माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, रॉची / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / अभियंता प्रमुख—1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / प्रबंध निदेशक, शिक्षा परियोजना, झारखण्ड रॉची / संबंधित मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता / सभी संबंधित पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, / वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रशास्त्रा पदाधिकारी, प्रशास्त्र—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / यो. 7 / ब. 8ए. 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार चौधरी)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 2 / स्थान(विविध)-07-18 / 2012 / रॉची, दिनांक :—/

शुद्धि-पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या-3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक-113, स्तम्भ-2 में श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता के नाम के नीचे अंकित "आई0डी0 सं0-जे0-5323, जन्म तिथि 28.12.1958 एवं गृह जिला-नालन्दा" के स्थान पर "आई0डी0 सं0- जे0 9033, जन्म तिथि 03.05.1963 एवं गृह जिला-बक्सर" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हृद तक संशोधित समझा जाय। शेष कांडिकाएँ पूर्ववत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(रमेश कुमार चौधरी)
अवर सचिव (प्र.)

पत्रांक:- 2 / स्थान(विविध) 07-18 / 2012-

रॉची, दिनांक :—

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पचीस) प्रतियों कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।


(रमेश कुमार चौधरी)
अवर सचिव (प्र.)

पत्रांक:- 2 / स्थान(विविध) 07-18 / 2012- ५५४५ रॉची, दिनांक - २९.४.१८

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची / अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, रॉची / माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / सचिव, मन्त्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, रॉची / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / अभियंता प्रमुख-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / संबंधित मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित सहायक अभियंता / सभी संबंधित पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, / वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / यो. 7 / ब. 8ए. १८ एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार चौधरी)
अवर सचिव (प्र.)